भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *66
दिनांक 07 फरवरी, 2025 को उत्तर के लिए

कुपोषण मुक्त भारत

***66. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पोषण अभियान या राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत देश को वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त बनाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;
(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त अभियान को पूरा करने में आई कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;
(ग) महाराष्ट्र में भंडारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण जैसी गंभीर समस्याओं पर नियंत्रण के लिए विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत भंडारा और गोंदिया जिलों को अब तक प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

****

"कुपोषण मुक्त भारत" के संबंध में प्रशांत यादवराव पडोले द्वारा दिनांक 7.02.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 66 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ) : बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के उद्देश्य से 8 मार्च, 2018 को शुरू किया गया पोषण अभियान, समग्र पोषण हेतु एक व्यापक योजना है। 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की आयु) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी तथा पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसके विभिन्न कार्यकलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्व-चयनित व्यापक योजना है जिसे महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया संसदीय क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय की आवश्यकता होती है जो स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल जैसे कारकों से प्रभावित होता है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के बीच परस्पर (क्रॉस कटिंग) अभिसरण स्थापित करके कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और पक्ष समर्थन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि दुबलेपन, ठिगनेपन और अल्प वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करना;
- कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;

- स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा अच्छी खान-पान की आदतों को बढ़ावा देना

इस योजना के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी 2023 में संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर-कच्चा राशन नहीं) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए इस मिशन के अंतर्गत सामुदायिक जुटाव और जागरूकता पक्ष समर्थन प्रमुख कार्यकलाप हैं। क्योंकिपोषण संबंधी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रम (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 से संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के विभिन्न चक्रों में भी पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखाया गया है। एनएफएचएस-1 से एनएफएचएस-5 तक बच्चों के लिए इन संकेतकों का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएफएचएस सर्वे	**ठिगनेपन का %**	**अल्पवजन का %**	**दुबलेपन का %**
एनएफएचएस-1 (1992-93)*	52	53.4	17.5
एनएफएचएस-2 (1998-99)**	45.5	47	15.5
एनएफएचएस-3 (2005-6)***	48.0	42.5	19.8
एनएफएचएस-4 (2015-16)***	38.4	35.8	21.0
एनएफएचएस-5 (2019-21)***	35.5	32.1	19.3

* 4 वर्ष से कम
** 3 वर्ष से कम
*** 5 वर्ष से कम

उपर्युक्त तालिका संबंधित समय के साथ 0-3 वर्ष, 0-4 वर्ष और 0-5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों में कुपोषण संकेतकों की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

वर्ष 2021 के लिए भारत में 5 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 13.75 करोड़ है (स्रोत: भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)। तथापि, अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 5 वर्ष तक के केवल 7.50 करोड़ बच्चे ही आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत हैं। इनमें से 7.18 करोड़ बच्चों की लंबाई और वजन के मापदंडों पर पर माप की गई। इनमें से 39.68% बच्चे ठिगने पाए गए, 17.22% बच्चे अल्प वजन वाले और 5.5% दुबले पाए गए।

इसके अलावा, वर्ष 2021 के लिए भारत में 6 वर्ष तक के सभी बच्चों की अनुमानित जनसंख्या 16.1 करोड़ है। पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 8.82

करोड़ बच्चे (0-6 वर्ष) आंगनवाड़ियों में नामांकित हैं जिनमें से 8.43 करोड़ बच्चों के वजन और ऊंचाई की विकास मापदंडों पर माप की गई है। इनमें से 38.32% बच्चे (0-6 वर्ष) ठिगने और 17.82% बच्चे (0-6 वर्ष) अल्प वजन के पाए गए हैं।

एनएफएचएस आंकड़ों और पोषण ट्रैकर आंकड़ों के विश्लेषण से पूरे भारत में बच्चों में कुपोषण संकेतकों में सुधार दिखा है।

आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए आईटी सिस्टम का लाभ उठाया गया है। 1 मार्च, 2021 को महत्वपूर्ण आईटी गवर्नेंस टूल के रूप में 'पोषण ट्रैकर' एप्लिकेशन शुरू किया गया था। यह परिभाषित संकेतकों पर आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में बुनियादी ढांचे तथा सेवा प्रदायगी और लाभार्थियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। पोषण ट्रैकर हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में उपलब्ध है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए लगभग तत्काल आंकड़ा संग्रह को सुगम बनाया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए महीने में एक बार सभी बच्चों (0-6 वर्ष) की ऊंचाई और वजन मापना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा दर्ज की गई ऊंचाई और वजन के आंकड़ों के आधार पर, डब्ल्यूएचओ के मानकों के अनुसार बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन, अल्पवजन की व्यापकता की नियमित पहचान के लिए पोषण ट्रैकर का लाभ उठाया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, 31 जनवरी, 2025 तक मिशन पोषण 2.0 के तहत महाराष्ट्र राज्य को 871.83 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

*****